



संख्या-08/आई/1203277/2026/004-89-1002/10/2025

प्रेषक,
मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2026
विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशुनपुर विश्राम, पचपेड़वा-बलरामपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/399719/2025/UPDTE/242/2025, दिनांक 31.12.2025 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशुनपुर विश्राम, पचपेड़वा-बलरामपुर में बाउन्ड्रीवॉल एवं गेट का निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रुपये 191.57 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-38/आई/894981/2025/002-89-10022102025, दिनांक 03.03.2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 56.40 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशुनपुर विश्राम, पचपेड़वा-बलरामपुर में बाउन्ड्रीवॉल एवं गेट का निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रु० 135.17 लाख (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष उक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2025, तथा 27.03.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं।

क्र० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/जनपद का नाम	कार्यों का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशुनपुर विश्राम, पचपेड़वा-बलरामपुर	संस्थान के बाउन्ड्रीवॉल एवं गेट का निर्माण कार्य	191.57	56.40	135.17	यू०पी०पी०सी० एल०

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 1,35,17,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4250007890500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवशेष निर्माण कार्य मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
 - 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी, बलरामपुर।
 - 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
 - 6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 7- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल०, लखनऊ।
 - 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 9- संबंधित जनपद के प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। (द्वारा निदेशक)।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।